

कार्यालय अधिशासी अभियंता, भवन एवं दायी मुख्य नहर खण्ड,
माही परियोजना, बॉसवाड़ा

क्रमांक - अ.अ./भदामुन/ले. ॥/2016-17/


दिनांक -

निलामी सूचना सं. 01 वर्ष 2016-17

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि तहसीलदार, बॉसवाड़ा की अनुशंषा अनुसार उपखण्ड अधिकारी, बॉसवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व/2015/177-179 दिनांक 18.04.15 द्वारा कुल 21 पेड़ काटने की स्वीकृति दी गई थी। स्वीकृति अनुसार नीम के चार, इमली के छः, निलगिरी के दस एवं जामुन का एक वृक्ष को कटवाने एवं लकड़ी निलामी द्वारा विक्रय की जानी है, जिस हेतु इच्छुक व्यक्ति/उक्त कार्य अनुभवी एवं लाईसेंसधारी व्यक्ति दिनांक 04.07.16 को समय प्रातः 11.00 से दोपहर 1.00 बजे तक माही क्लब परिसर में उपस्थित होकर निलामी बोली में भाग ले सकते हैं। भाग लेने वाले व्यक्तियों को धरोहर राशि 10500/- जमा कराना होगा, जिस व्यक्ति के नाम अन्तिम बोली होगी, उसे संपूर्ण राशि जमा करानी होगी।

निलामी की शर्तें एवं नियम -

- 1 सुरक्षा का ध्यान रखकर पेड़ों की कटाई करनी होगी तथा किसी भी प्रकार की दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 2 विद्युत लाईनों को बंद कराकर लाईनों को व्यवस्थित कर पेड़ों की कटाई करनी होगी।
- 3 लकड़ी को लाने एवं ले जाने, बेचने इत्यादि में किसी भी प्रकार का सेवाकर, खर्च इत्यादि का वहन ठेकेदार को ही वहन करना होगा।
- 4 पेड़ों की कटाई कर कटी हुई लकड़ी उसी दिन हटानी होगी।
- 5 पेड़ों की कटाई का कार्य 21 दिनों में पूर्ण करना होगा।


अधिशासी अभियंता
भवन एवं दायी मुख्य नहर खण्ड
माही परियोजना, बॉसवाड़ा